द्वारा फैक्स

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

कार्यालय अपर पुलिस महानिदेशक, लॉजिस्टिक्स (परिवहन एवं आयुध)
सिग्नेचर बिल्डिंग, टावर–1, पंचम तल, गोमतीनगर विस्तार लखनऊ 226010
(फैक्स नम्बर–0522–2724030 EMail- logisticoffice4@gmail.com)

पत्र संख्याःलॉजि0–परिवहन–ग्रीष्म0का0स्था0–1/2022 दिनांकः लखनऊः फरवरी 18 , 2022

सेवा में,

समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश ।
पुलिस कमिश्नरेट,
लखनऊ/गौतमबुद्धनगर/कानपुर/वाराणसी।
अपर पुलिस महानिदेशक, पीएसी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक,
उत्तर प्रदेश ।
समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद उत्तर प्रदेश।
समस्त सेनानायक,
पीएसी उत्तर प्रदेश।

विषयः ग्रीष्म कालीन स्थानान्तरण सत्र–2022 हेतु निरीक्षक मोटर परिवहन एवं उपनिरीक्षक, मोटर परिवहन के स्थानान्तरण हेतु सूचना/आवेदन पत्र उपलब्ध कराने जाने के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त संबंध में अवगत कराना है कि विगत वर्षो की भांति **ग्रीष्म कालीन स्थानान्तरण सत्र –2022** के अन्तर्गत जोनल अपर पुलिस महानिदेशक के माध्यम से **निरीक्षक मोटर परिवहन एवं उपनिरीक्षक मोटर परिवहन के** समयावधि पूर्ण करने वाले, अनुकम्पा के आधार पर स्थानान्तरण हेतु इच्छुक एवं प्रशासनिक आधार पर संस्तुति प्रकरणों के स्थानान्तरण विषयक हस्ताक्षरयुक्त सूचनाएं निर्धारित प्रारूप में **दिनांक 31.03.2022 तक** लाजिस्टिक्स इकाई को विशेष वाहक के माध्यम से एवं साफ्ट कापी **E Mail ID-** logisticoffice4@gmail.com पर अपने स्पष्ट अभिमत सहित **"लाजिस्टिक्स पुलिस स्थापना बोर्ड"** के विचारार्थ उपलब्ध करायी जाय। सम्बन्धित कर्मी की नियुक्ति अवधि की गणना हेतु **Cut of Date 30-04-2022** नियत की गयी है।

उपरोक्त सूचनाओं को मुख्यालय प्रेषित करने से पूर्व निम्न कार्यवाही परिक्षेत्र एवं जोन स्तर पर पूर्ण कर ली जायः–

(1) परिक्षेत्रीय प्रभारी अपने स्तर पर निरीक्षक/उपनिरीक्षक मोटर परिवहन की सूची **दिनांक 20–03–2022** तक सभी जनपदों से प्राप्त कर लेगें तथा सूची जोनल कार्यालय को उपलब्ध करायेगें ।

(2) समस्त जोन परिक्षेत्र स्तर से प्राप्त अनुकम्पा के आधार पर, समयावधि पूर्ण करने तथा प्रशासनिक आधार की सूची परीक्षणोंपरान्त संकलित कर **दिनांक 31–03–2022** तक लॉजिस्टक्स कार्यालय को उपलब्ध करायेगें। निर्धारित अवधि के उपरान्त यदि कोई नामांकन प्राप्त होता है तो उस पर विचार नही किया जायेगा और उसका पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित कार्यालय को होगा ।

(3) स्थानान्तरण से सम्बन्धित संदर्भो का परीक्षण शासनादेश दिनांक 11.07.1986, 07.06.2014 व 24.07.2015 व मुख्यालय पुलिस महानिदेशक के पत्र दिनांकित 22.06.2017 में निहित प्राविधानो में ध्यान में रखते हुए किया जाय ।

(4) परिक्षेत्र/जोन/मुख्यालय स्तर से स्थानान्तरित ऐसे कर्मियो को अवश्य सूचीबद्ध कर लिया जाय जिनका विगत वर्ष में स्थानान्तरण हो चुका है, परन्तु विभिन्न कारणो से अभी तक कार्यमुक्त नही किये गये हैं ।

(5) प्रत्येक जनपद/कार्यालय का पदवार नियतन/उपलब्धता/रिक्ति एवं अधिकता का विवरण भी संलग्न किया जाय ।

(6) लॉजिस्टिक्स कार्यालय द्वारा स्थानान्तरण सम्बन्धी समस्त कार्यवाही दिनांक 10.04.2022 तक पूर्ण कर ली जायेगी अतएव जोन एवं परिक्षेत्र/ पीएसी से स्थानान्तरण चिन्हित समस्त निरीक्षक मोटर परिवहन/उपनिरीक्षक मोटर परिवहन के स्थानान्तरण सम्बन्धी नामांकन **दिनांक 31.03.2022** तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध करा दिये जाये।

(7) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि दिनांक 31.05.2022 के उपरान्त कोई कर्मी कार्यमुक्त किये जाने हेतु शेष न रहें ।

(1) अनुकम्पा के आधार पर स्थानान्तरण–

अनुकम्पा के आधार पर स्थानान्तरण चाहने वाले कर्मियों के प्रार्थना–पत्रों में अंकित समस्याओं का परीक्षण जनपद स्तर पर कराने के पश्चात् यदि अंकित तथ्य सत्य पाये जाने तथा स्थानान्तरण आवश्यक हो तो प्रार्थना–पत्र एवं पूर्ण सेवा विवरण संस्तुति सहित निर्धारित **प्रारूप–"ए"** में उपरोक्तानुसार अग्रसारित किया जायेगा । इस सूचनाओ एवं आवेदनो का परीक्षण परिक्षेत्र/जोन स्तर पर किया जायेगा एवं मुख्यालय स्तर से अपेक्षित कार्यवाही सम्बन्धी प्रकरण ही इस मुख्यालय को प्रेषित किये जायेगें ।

- अनुकम्पा के आधार पर स्थानान्तरण पुलिस कर्मी का अधिकार और विभाग के लिये बाध्यकारी नहीं होगा क्योकि ऐसा करते समय भी शासकीय/विभागीय हित को वरीयता दिया जाना आवश्यक है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से घुमा फिराकर एक ही स्थान पर कर्मी के स्वहित में काफी लम्बी अवधि तक तैनाती नहीं की जायेगी। यह स्पष्ट करना समीचीन है
  की मात्र गृह जनपद की दूरी सामान्यतः अनुकम्पा का आधार नही होगा।
- जनपदीय पुलिस अधीक्षक अनुकम्पा के आधार पर आवेदन पत्र अग्रसारित करते समय प्रतिस्थानी की आवश्यकता के सम्बन्ध में स्पष्ट टिप्पणी अंकित करेगें।
- यदि पूर्व में प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण हुआ हो तो उसके कारण व उपलब्ध अभिलेखीय आधार का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा।

(2) निर्धारित समयावधि पूर्ण करने वाले कर्मियों का स्थानान्तरण–

जनपद/इकाई में सम्बन्धित कर्मी की नियुक्ति अवधि की गणना हेतु Cut of Date 30-04-2022 नियत की गयी है। परिवहन शाखा के लिए निर्धारित कार्यकाल निम्नवत् हैः–

क0सं0	पदनाम	निर्धारित कार्यकाल	
		एक जनपद में	एक परिक्षेत्र में
1	निरीक्षक मोटर परिवहन	03 वर्ष	06 वर्ष
2	उपनिरीक्षक मोटर परिवहन	03 वर्ष	06 वर्ष

उपर्युक्तानुसार निर्धारित कार्यकाल की परिधि में आने वाले कर्मियों का विवरण अलग–अलग पदवार निर्धारित **प्रारूप–"बी"** में हार्ड कापी एवं सी0डी0 सहित जनपदों द्वारा परिक्षेत्र/जोनल प्रभारी के माध्यम से प्रेषित किया जायेगा।

3–प्रशासनिक एवं जनहित में निम्न कारणों से स्थानान्तरण की संस्तुति की जा सकती हैः–

प्रशासनिक एवं जनहित में स्थानान्तरण की संस्तुति डीजीपी मुख्यालय के पत्र संख्याः डीजी–चार–स्था0 (निर्देश)/2017 के शीर्षक प्रशासनिक स्थानान्तरण के बिन्दु संख्या 01 से 06 में अंकित तथ्यो को ध्यान में रखते हुए किया जाये ।

4–ऐसे कर्मियो जो विगत वर्षो से स्थानान्तरणाधीन है, परन्तु विभिन्न कारणो से अभी तक कार्यमुक्त नही हो सके हैं,

- को पदवार चिन्हित कर अभी तक कार्यमुक्त न किये जाने के स्पष्ट कारणो का उल्लेख करते हुए उनकी सूचना **प्रारूप–डी** में संलग्न की जाय । साथ ही ऐसे कर्मी जिनके नाम इस सूची से इतर अन्य सूची में भी है, उनके नाम के सम्मुख इन तथ्यो का अवश्य अंकन किया जाय ।
- मा0 उच्च न्यायालय अथवा किसी अन्य सक्षम न्यायालय द्वारा यदि स्थानान्तरण विषयक किसी प्रकरण में कोई स्थगन आदेश पारित किया गया हो तो उसका स्पष्ट विवरण अंकित करते हुए स्थगन सम्बन्धित मा0 न्यायालय के निर्णय की प्रति भी संलग्न की जाय तथा प्रकरण में अबतक की गयी कार्यवाही का भी उल्लेख किया जाय ।

सामान्य निर्देश

1. इस पत्र के साथ पांच प्रारूप संलग्न हैः–
   (1) प्रारूप "ए"–अनुकम्पा के आधार पर स्थानान्तरण चाहने वाल
   (2) प्रारूप–बी, – निर्धारित समयावधि
   (3) प्रारूप–सी,–प्रशासनिक एवं जनहित
   (4) प्रारूप–डी,– पूर्व से स्थानान्तरणाधीन कर्मियों का विवरण
   (5) प्रारूप–ई, – पदवार स्वीकृत नियतन/उपलब्धता/रिक्ति का विवरण
   (6) प्रारूप–एफ– निरीक्षक मोटर परिवहन/उपनिरीक्षक मोटर परिवहन का नामिनल रोल

2 प्रायः यह देखने में आता है कि जनपदो में ग्रीष्मकालीन स्थानान्तरण के अन्तर्गत अनुकम्पा के आधार पर स्थानान्तरण के सम्बन्ध में जनपद/परिक्षेत्र/ जोन स्तर पर कर्मियो को समय से प्रचार प्रसार न होने के कारण ग्रीष्मकालीन स्थानान्तरण की जनपद/परिक्षेत्र/जोन में ग्रीष्मकालीन स्थानान्तरण के सम्बन्ध में पुलिस कर्मी प्रार्थना–पत्र लेकर सीधे मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ में उपस्थित होते हैं। इससे मुख्यालय स्तर पर राजकीय कार्य बाधित होता है। अतः अपने जनपद/परिक्षेत्र/जोन में ग्रीष्मकालीन स्थानान्तरण के सम्बन्ध में व्यापक प्रचार–प्रसार कराने का कष्ट करें, जिससे सभी स्थानान्तरण हेतु इच्छुक कर्मी अपना आवेदन समय से कर सके तथा कोई भी कर्मी स्थानान्तरण के लिये सीधे इस इकाई में प्रस्तुत नही होगा ।

3 अनुकम्पा के आधार पर स्थानान्तरण हेतु इच्छुक कर्मियों में से यदि कोई कर्मी पूर्व में आपके जनपद में प्रशासनिक/जनहित में स्थानान्तरण पर आया हो तो तत्सम्बन्धी आदेश संख्या व दिनांक का उल्लेख अवश्य किया जाय।

4 सम्बन्धित कर्मी के प्रार्थना पत्र को क्रमांकित किया जाय तथा क्रमवार सम्बन्धित प्रारूप में टंकित किया जाय ।

5. पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के अशा0 पत्रांक 8/2008 दिनांक 29.01.2018 के अनुसार सभी कर्मियो का पर्सनल नम्बर (पीएनओ नं0) अंकित किया जाय। पर्सनल नम्बर के बिना किसी प्रकार का स्थानान्तरण आदेश जारी नही किया जायेगा।

6 सम्बन्धित जनपद/कार्यालय प्रभारी का यह दायित्व होगा कि जिन कर्मियों के स्थानान्तरण की सूची/संस्तुति भेजी जाय उनके पीएनओ आधारित नामिनल रोल डाटाबेस आन–लाइन में स्थानान्तरण सेवा विवरण, पूर्व नियुक्तियॉ एवं अन्य विवरण अद्यावधिक पूर्ण कर लिये जायें, यदि कोई कर्मी पूर्व में वाह्य सेवा पर प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत रहा हो तो उसका विवरण भी अंकित किया जाय, यदि किसी प्रकरण में सम्बन्धित कर्मी का सेवाविवरण नामिनल रोल डाटाबेस में अपूर्ण पाया जाता है तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित जनपद/कार्यालय प्रभारी की होगी।

7 स्थानान्तरण के समय विभागीय हित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय। ऐसा करते हुए भी पुलिस कर्मी की वास्तविक समस्या के समाधान हेतु यथासम्भव सहानुभूति पूर्वक उसके प्रकरण पर विचारण किया जाय, ताकि वह पूर्ण मनोयोग से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके।लाजिस्टिक्स पुलिस स्थापना बोर्ड प्राप्त नामांकन/संस्तुतियो के परिप्रेक्ष्य में स्वीकृत नियतन, उपलब्धता, रिक्ति एवं आवश्यकता के दृष्टिगत स्थानान्तरण पर विचार किया जायेगा।

8 ग्रीष्कालीन स्थानान्तरण से सम्बन्धित उपरोक्त सभी सूचनाएं Microsoft Excel Sheet Krishna Font में तैयार कर प्रेषित की जाये, जिसमें यह ध्यान रखा जायें कि प्रत्येक कर्मी का विवरण एक सेल/रो में ही भरा जाय, कोई भी सेल मर्ज कदापि न किया जाय।

9. उक्त पत्र की प्रति एवं सभी प्रारूप (05 अद्द) इस कार्यालय के बेवसाईट up police-police units-Logistics-circuler पर प्रकाशित किया गया है, जहॉ से डाउनलोड किया जा सकता हैं ।

10 सभी सूचनाएं प्रिन्ट आउट के साथ सी0डी0 तथा logisticoffice4@gmail.com में भी अवश्य प्रेषित की जाय।

संलग्नकः 06 अद्द प्रारूप

(रोहन पी. कनय)
पुलिस अधीक्षक,
निमि— पुलिस महानिदेशक, लाजिस्टिक्स,
उत्तर प्रदेश लखनऊ

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया अपने अधीनस्थ नियुक्त उपनिरीक्षक मोटर परिवहन के कार्यकाल की गणना मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्याः डी0जी0—चार—स्था0—निर्देश 2017/900 दिनांक 22.06.2017 व इस पत्र के शीर्षक कार्यकाल निर्धारण के सम्बन्ध में मानक में निहित प्राविधानो के अनुसार परीक्षण कराकर जिन कर्मियो का कार्यकाल पूरा हो रहा हो, जो कर्मी अनुकम्पा के आधार पर इच्छुक हो अथवा जिन कर्मियों का प्रशासनिक/जनहित में स्थानान्तरण आवश्यक हो उनके आवेदन पत्र व उपरोक्तानुसार निर्धारित प्रारूप में सूचना अलग—अलग तैयार कराकर सीडी व हार्ड कापी **दिनांक 31.03.2022** तक इस मुख्यालय को भिजवाने का कष्ट करें ।

1. पुलिस महानिदेशक, अभिसूचना मुख्यालय, लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय/सुरक्षा शाखा/ रेडियों मुख्यालय/यूपी 112 मुख्यालय/पीटीसी सीतापुर/जी0एस0ओ0 डीजीपी मुख्यालय, लखनऊ।
3. पुलिस महानिरीक्षक, एस0टी0एफ0 उ0प्र0 लखनऊ।

प्रारूप "ए"

अनुकम्पा के आधार पर स्थानान्तरण चाहने वाले कर्मियों का विवरण

क0सं0	पदनाम	बैज नं0	पीएनओ0 नं0	कर्मी का नाम	पिता का नाम	जाति श्रेणी	जन्म तिथि	भर्ती की तिथि	वर्तमान पद पर नियुक्ति की तिथि	गृह जनपद	पूर्व नियुक्तियों का विवरण			वर्तमान नियुक्ति का जनपद	वर्तमान जनपद में नियुक्ति की तिथि	अनुकम्पा के आधार पर स्थानान्तरण चाहने वाले जनपद/इकाई का नाम			दो वर्ष पूर्व प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरित हुआ हो तो उसका विवरण	यदि कर्मी स्थानान्तरणाधीन है तो उसका विवरण
											जनपद/इकाई का नाम	कब से	कब तक			प्रथम विकल्प	द्वितीय विकल्प	तृतीय विकल्प		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर
व मुहर

नोटः समस्त सूचनायें माइक्रोसाफ्ट एक्सल में हिन्दी फान्ट(कृष्णा) में तैयार की जायं, कोई कालम मर्ज न किये जाय, एक कर्मी की सूचना एक ही सेल/रो में फीड की जाय व समस्त तिथियों DD/MM/YYYY में अंकित की जाय।

2– पदवार सूचना अलग–अलग प्रेषित किया जाय ।

प्रारूप ''बी''

निर्धारित अवधि पूर्ण करने वाले कर्मियों का विवरण

क0सं0	पदनाम	बैज नं0	पीएनओ0 नं0	कर्मी का नाम	पिता का नाम	जाति श्रेणी	जन्म तिथि	भर्ती की तिथि	वर्तमान पद पर नियुक्ति की तिथि	गृह जनपद	पूर्व नियुक्तियों का विवरण			वर्तमान नियुक्ति का जनपद	वर्तमान जनपद में नियुक्ति की तिथि	यदि कर्मी द्वारा आवेदन पत्र दिया गया हो तो उसमें वर्णित विकल्प	यदि कर्मी स्थानान्तरणाधीन है तो उसका विवरण
											जनपद/इकाई का नाम	कब से	कब तक				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर
व मुहर

नोटः समस्त सूचनायें माइक्रोसाफ्ट एक्सल में हिन्दी फान्ट(कृष्णा) में तैयार की जायं, कोई कालम मर्ज न किये जाय, एक कर्मी की सूचना एक ही सेल/रो में फीड की जाय व समस्त तिथियों DD/MM/YYYY में अंकित की जाय।

2– पदवार सूचना अलग–अलग प्रेषित किया जाय ।

प्रारूप "सी"

प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरित किये जाने वाले कर्मियों का विवरण

क्र0सं0.	पदनाम	बैज नं0	पीएन0ओ0 नं0	कर्मी का नाम	पिता का नाम	जाति श्रेणी	जन्म तिथि	भर्ती की तिथि	वर्तमान पद पर नियुक्ति की तिथि	गृह जनपद	पूर्व नियुक्तियों का विवरण			वर्तमान नियुक्ति का जनपद	वर्तमान जनपद में नियुक्ति की तिथि	यदि कर्मी का नाम किसी अन्य सूची में सम्मिलित हो तो उसका स्पष्ट उल्लेख	प्रशासनिक स्थानान्तरण हेतु स्पष्ट कारण/संस्तुति अंकित किया जाए	यदि कर्मी स्थानान्तरणाधीन है तो उसका विवरण	अभ्युक्ति
											जनपद/इकाई का नाम	कब से	कब तक						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर
व मुहर

नोटः समस्त सूचनायें माइक्रोसाफ्ट एक्सेल में हिन्दी फान्ट [illegible] में तैयार की जायें, कोई कालम मर्ज न किये जाय, एक कर्मी की सूचना एक ही सेल/रो में फीड की जाय व समस्त तिथियों DD/MM/YYYY में अंकित की जाय।

2– पदवार सूचना अलग–अलग प्रेषित किया जाय ।

प्रारूप "डी"

स्थानान्तरणाधीन पुलिस कर्मियों का विवरण, जिन्हें कार्यमुक्त नहीं किया गया।

क0सं0	पदनाम	बैज नं0	पीएनओ0 नं0	कर्मी का नाम	पिता का नाम	नियुक्त जनपद का नाम	आदेश संख्या व दिनांक, जिसके द्वारा स्थानान्तरण किया गया है।	कहाँ से	कहाँ को	कार्यमुक्त न किये जाने का कारण	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर
व मुहर

प्रारूप "ई"

स्वीकृत, नियतन, उपलब्धता, रिक्ति एंव अधिकता का विवरण

क0 सं0	जनपद का नाम	पदनाम	स्वीकृत नियतन	उपलब्धता	रिक्ति	अधिकता	अनुकम्पा के आधार पर प्रेषित नामांकन की संख्या	निर्धारित अवधि के आधार पर प्रेषित नामाकंन की संख्या	प्रशासनिक आधार पर प्रेषित नामांकन की संख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		निरीक्षक मोटर परिवहन								
2		उपनिरीक्षक मोटर परिवहन								
3		उपनिरीक्षक मोटर परिवहन डायल 100								

कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर
व मुहर

प्रारूप ''एफ ''

निरीक्षक मोटर परिवहन एवं उपनिरीक्षक मोटर परिवहन का नामिनल रोल

क0 सं0	जनपद का नाम	पदनाम	पी0एनओ0 नम्बर	नाम कर्मचारी	पिता का नाम	जन्म तिथि	भर्ती तिथि	वर्तमान पद पर पदोन्नित की तिथि	गृह जन पद	जाति	पूर्व नियुक्तियों का विवरण			वर्तमान जनपद/ इकाई में नियुक्ति की तिथि	अभ्युक्ति
											जनपद /इकाई का नाम	कब से	कब तक		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

नोट: समस्त सूचनायें माइक्रोसाफ्ट एक्सल में हिन्दी फान्ट(कृष्णा) में तैयार की जायं, कोई कालम मर्ज न किये जाय, एक कर्मी की सूचना एक ही सेल/रो में फीड की जाय व समस्त तिथियों DD/MM/YYYY में अंकित की जाय।

कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर
व मुहर